कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

क्रमांक'–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/पु.अ..III/2017–18/71   दिनांक 12/02/2018

कार्यालय– आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य /संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 7.2.2018 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2016 के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या–2(ए से एच) में अंकित शर्तो के अनुसार काउंसलिंग के उपरान्त संलग्न सूचीनुसार अभ्यर्थियो को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड ग्रेड–III के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या–8555/2017,1152/2017,10421 /2017 एवं विभिन्न याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी । इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रावधानानुसार 18500/–प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक/ विद्यमान वेतन देय होगा ।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगे।

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे । जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत है उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

3– राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता सम्बंधी जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतःजिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन रहेगी । अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से 50/–के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4– आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से नियुक्ति/उपस्थिति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगें । मिलान में कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाये ।

5– अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिऐ । महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है । परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण–पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग की प्रमाण–पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको को नियुक्ति/ कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रदान करे ।

यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

कृ.पृ.उ.

6— पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने पर सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवावे ।

7— कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटि पूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

8— कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमॉक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनॉक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (**UNDERTAKING**) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी ।

संलग्न :- पदस्थापन आदेश (15)

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

क्रमांक–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/पु.अ.III/2017–18/71 दिनांक 12/02/2018

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
2–शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2)/कार्मिक(ग्रुप–2)विभाग राजस्थान जयपर ।
3–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर ।
4–सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
5–उप निदेशक माध्यमिक शिक्ष विभाग कोटा ।
6–संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि.............................।
7–संबंधित आशार्थी ।
8–रक्षितपत्रावली ।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III आदेश–1

क्रमांक'–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/पु.अ..III/2017–18/71 दिनांक 12/02/2018

क0सं0	रोल नं0	मेरिट नं0	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5		7	8	10	11
1	518862	2297	मोनिका मालव	सत्यनारायण मालव	15–1–89	181सैन्टल बैंक तारज तह.खानपुर जिला–झालावाड	OBC	OBCF	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय असनावर जिला– झालावाड
2	490630	96	रामस्वरूप मालव	भैरूलाल मालव	3–4–89	लाल बाई मोहल्ला ग्र.पो. तारज तह. खानपुर जिला–झालावाड	OBC	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाडी जिला– झालावाड
3	504211	109	जगदीश लववंशी	हीरा लाल लववंशी	27–5–96	ग्राम मोग्याबेह किशनपुरा पो.बॉसखेडा तह. मनोहरथाना जिला–झालावाड	OBC	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समराई जिला– झालावाड
4	413857	302	संजय शर्मा	बिरधीलाल शर्मा	15–7–87	ग्रम पां.दोबडा तह.खानपुर जिला–झालावाड	GEN	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रटलाई जिला– झालावाड
5	640624	392	युवराजसिंह चौहान	भॅवर सिंह चौहान	28–9–90	म0नं0–768आर के पुरम–ए,कोटा	GEN	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रनायरा (डग) जिला– झालावाड
6	443656	466	उज्जवल तोतला	ओम प्रकाश तोतला	10–1–90	भगवती कुन्ज उषा कॉलोनी पावर हाउस रोड भवानीमण्डी जिला–झालावाड	GEN	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानीमण्डी जिला– झालावाड
7	411925	638	विकम सिंह	औकार सिंह	7–4–88	ग्राम पो0बरूनी तह.किशनगंज जिला–बॉरा	OBC	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारपाकलॉ (सुनेल) जिला–झालावाड
8	498506	654	अशोक कुमार गुर्जर	मदन लाल गुर्जर	5–1–96	गॉव बाली पो. डोण्डा तह. झालरापाटन जिला–झालावाड	OBC	GENM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपल्या जिला– झालावाड
9	571756	822	दिलीप कुमार नागर	पवन कुमार	10–11–97	ग्राम बर्डगुवालिया पो.लायफल तह. खानपुर जिला–झालावाड	OBC	OBCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिडावा जिला– झालावाड
10	482060	889	प्रेम चन्द	सीताराम दॉगी	5–3–98	ग्रम धारूखेडी पो.धरोनियॉ तह.पिडावा जिला–झालावाड	OBC	OBCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल(सुनेल) जिला– झालावाड
11	517362	969	राधेश्याम मेहता	गणेश लाल मेहता	1–7–92	ग्राम सिरसौंदकलॉ ,पों. महोदरा तह. शाहबाद जिला–बॉरा	OBC	OBCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिश्रोली (भ0मण्डी) जिला–झालावाड
12	608473	2521	किशन मुरारी मेघवाल	छीतर लाल	6–7–97	ग्रम पो. मान्दलियॉ लाडपुरा कोटा	SC	SCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पगारिया जिला– झालावाड
13	423600	2557	विकास मीणा	मुकुट बिहारी मीणा	12–4–98	ग्राम रकसपुरिया सांगोद तह.दिगोद जिला–कोटा	ST	STM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरोद जिला– झालावाड
14	536712	2606	बृजराज मीणा	नाथुलाल मीणा	2–12–91	ग्राम मोतीपुरा पों. गोडियामेहर तह. छबडा जिला –बॉरा	ST	STM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरथाना जिला– झालावाड
15	428845	2612	महेन्द्र मीणा	प्रेमनारायण	5–7–97	ग्राम सोडलहेडी, तह.अटरू जिला–बॉरा	ST	STM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोरबन्द जिला– झालावाड

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक झालावाड

क्रमांक'–जिशिअ/मा/झा/संस्था–1/पु.अ..III/2017–18/72 दिनांक 12/02/2018

कार्यालय– आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य /संस्था/एफ–1/12102/प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ./2016 दिनांक 7.2.2018 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक भर्ती वर्ष 2016 के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार के पत्रांक प.17(15) शिक्षा–2/2014 दिनांक 19.12.2017 में अंकित बिन्दु संख्या–2(ए से एच) में अंकित शर्तो के अनुसार **काउंसलिंग में अनुपस्थित** रहने पर निम्नांकित अभ्यर्थियो को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड ग्रेड–III के पद पर दो वर्ष के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशन ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी.सिविल याचिका संख्या–8555/2017,1152/2017,10421 /2017 एवं विभिन्न याचिकाओ के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी । इन्हे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रावधानानुसार 18500/–प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक/ विद्यमान वेतन देय होगा ।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगे।

1– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हे कार्यग्रहण करवाया जावे । जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत है उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

2– नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक–एफ 7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल सन्तानो की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

3– राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओ की वैधता सम्बंधी जॉच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतःजिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्ययधीन रहेगी । अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियो से 50/–के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र में पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गयी शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पायी गयी तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4– आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से नियुक्ति/उपस्थिति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगें । मिलान में कोई भिन्नता की स्थिति पायी जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाये ।

5– अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिऐ । महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण–पत्र मान्य नहीं है । परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण–पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ हो प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दे । उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग की प्रमाण–पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदको को नियुक्ति/ कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रदान करे ।

यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमीलियर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।

कृ.पृ.उ.

6— पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने पर सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवावे ।

7— कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें की उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है इनके त्रुटि पूर्ण , जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

8— कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमॉक प.7(3) कार्मिक/क—2/06 पार्ट दिनॉक 4.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता **(UNDERTAKING)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।

क0 सं0	रोल नं0	मेरिट नं0	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	जन्मतिथि	स्थायी निवास पता	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
10	545451	827	कारू लाल	घीसा लाल	10—2—96	66 चौधरी गली गॉव कॉदलखेडी पो.उन्हेल. तह.पिडावा जिला—झालावाड	OBC	OBCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भालता जिला—झालावाड
13	558087	2219	विनोद कुमार मेघवाल	रामनारायण मेघवाल	6—6—87	कनवास कोटा	SC	SCM	राउमावि केलूखेडा (डग) जिला—झालावाड
16	638267	2562	लेखराज बैरवा	रामदेव बैरवा	7—4—89	ग्राम श्योपुर पो. कंकरावदा तह.पिपलदा जिला —कोटा	SC	SCM	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कछनारा (डग) जिला—झालावाड

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 28.02.2018 तक कार्यग्रहण** करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । दस्तावेज/सूचनाऐ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाये समाप्त की जा सकेगी । अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने से दस्तावेजो का मिलान नहीं किया गया है अतः संस्था प्रधान आदेश में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही दस्तावेजो का मिलान कर कार्यग्रहण करवाये ।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड

क्रमांक'—जिशिअ/मा/झा/संस्था—1/पु.अ.III/2017—18/72 दिनांक 12/02/2018

प्रतिलिपि—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1—शासन सचिव माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
2—शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप—2)/कार्मिक(ग्रुप—2)विभाग राजस्थान जयपर ।
3—निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर ।
4—सचिव राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर ।
5—उप निदेशक माध्यमिक शिक्ष विभाग कोटा ।
6—संबंधित संस्था प्रधान उमावि/मावि............................. ।
7—संबंधित आशार्थी ।
8—रक्षितपत्रावली ।

(सुरेन्द्र सिंह गौड)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक झालावाड